

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
प्रकरण संख्या 61/2023 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)  
पंजाब एण्ड सिंध बैंक, शाखा-11, विवेक विहार कॉलोनी, जगतपुरा, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्रीमती विमला शर्मा पत्नी श्री चतुर्भुज शर्मा,
2. श्री चतुर्भुज शर्मा पुत्र श्री घासीलाल शर्मा,  
पता :-सी-316, महेश नगर, गांधी नगर, जयपुर।  
एवं फ्लेट नं. एफ-2, प्रथम तल, ट्राईएंगल हाऊस, प्लॉट नं. सीडी-267, श्री दादूदयाल नगर, सीडी ब्लॉक, कल्याणपुरा, मुहाना मण्डी रोड, तहसील सांगानेर, जयपुर।
3. श्री संजय कुमार शर्मा पुत्र श्री वाल्मिकी शर्मा,  
पता :- वार्ड नं. 5, अंचल वारिसलीगंज, नवादा, जिला नवादा, बिहार।  
एवं फ्लेट नं. एस-2, सीडी-267, श्री दादूदयाल नगर, सांगानेर, मुहाना मण्डी रोड, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



उपस्थित :-

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

1. श्री सत्येन्द्र खोरानियां, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।


आदेश

दिनांक 02.03.2023

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु दिनांक 06.01.2016 को जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती विमला शर्मा पत्नी श्री चतुर्भुज शर्मा के स्वामित्व की संपत्ति फ्लेट नं. एफ-2, प्रथम तल, ट्राईएंगल हाऊस, प्लॉट नं. 267, श्री दादूदयाल नगर, सीडी ब्लॉक, कल्याणपुरा, मुहाना मण्डी रोड, तहसील सांगानेर, जयपुर, क्षेत्रफल 1100 वर्गफीट को बन्धक रख कर कुल राशि 26,40,000/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 14.09.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 26,40,000/-रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 26,95,646.52/- रूपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 14.09.2021 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।
4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती विमला शर्मा पत्नी श्री चतुर्भुज शर्मा के स्वामित्व की बंधक संपत्ति प्लेट नं. एफ-2, प्रथम तल, ट्राईएंगल हाऊस, प्लॉट नं. 267, श्री दादूदयाल नगर, सीडी ब्लॉक, कल्याणपुरा, मुहाना मण्डी रोड़, तहसील सांगानेर, जयपुर, क्षेत्रफल 1100 वर्गफीट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।
- आदेश आज दिनांक 02.03.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।



५४०  
(प्रकाश राजपुरोहित)  
जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर